रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1048] नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 31, 2017/पौष 10, 1939
No. 1048] NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 31, 2017/PAUSHA 10, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1611(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'ख' (अराजपत्रित) गैर-तकनीकी, पद भर्ती नियम, 2015, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'ख' (अराजपत्रित) गैर तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान समूह 'ख' (अराजपत्रित) गैर-तकनीकी पदों भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना :** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ के स्तंभ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट है ।

5. निरर्हताः वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी-, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कार्यालय अधीक्षक	8* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रुपए)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति -: ऐसे लेखाकार जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200 92300/- रु.) में छह वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके न हो सकने पर ऐसे लेखाकार जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200 92300/- रु.) में लेखाकार के रूप में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और उच्च श्रेणी

लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में छह वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके न हो सकने पर ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।

या

ऐसे ज्येष्ठ हिंदी टंकक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में उस स्तर में दस वर्ष नियमित सेवा की है और भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में स्थापना या लेखे कार्य में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण 1-उच्च श्रेणी लिपिक तथा ज्येष्ठ हिंदी टंकक के लिए पात्रता सूची संबंधित स्तर या पद में विहित अर्हक सेवा अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने की तारीख के संबंध में प्रोन्नति हेतु के लिए तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2-जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी -

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस स्तर में छह वर्ष नियमित सेवा की है ;

(iii) जिन्होंने **मूल काडर या विभाग** में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात –

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में डिग्री ;

(ii) प्रशासन और लेखा कार्य में एक वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

कंप्यूटर अनुप्रयोग, डाटा प्रोसेसिंग और नेट वर्किंग का एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 – पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान -अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के कार्यालय के अध्यक्ष -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. आशुलिपिक श्रेणी -।	5* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रु.)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ; (ii) प्रतिशत 50प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा

(11)
प्रतिनियुक्ति : ऐसे आशुलिपिक श्रेणी -2 जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा ;** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या स्वैच्छिक निकायों या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जो आशुलिपिक के पद पर हैं - (i) जो **मूल काडर या विभाग** में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने **मूल काडर या विभाग** में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो ; (iii) जिन्होंने **मूल काडर या विभाग** के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रु.) या समतुल्य में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो ; **टिप्पण 1 –** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 –**प्रतिनियुक्ति की अवधि, प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण – 4** केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी ही आमेलन के लिए पात्र होंगे।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान -अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

2. अवर सचिव मशीनीकरण) एवं तकनीकी प्रभाग(, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के कार्यालय के अध्यक्ष –सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. पुस्तकालय और सूचना सहायक	2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)
30 वर्ष से अनधिक केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए) शों के अनुसार सरकारीअनुदेशों या आदे सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण-:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**अनिवार्य -** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री ; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में दो वर्ष का व्यवसायिक अनुभव। **वांछनीय –** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों को लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन प्रक्रिया के समय संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	**सीधी भर्ती द्वारा ;** **टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को व 56र्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के कार्यालय के अध्यक्ष –सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[मिसिल सं 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन)(पार्ट-II)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2017

G.S.R. 1611(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'B' (Non-Gazetted) Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' (Non-Gazetted) Non-Technical posts in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'B' (Non-Gazetted) Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.– The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.– No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Office Superintendent	8* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Selection.	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By promotion, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
(11)
Promotion : Accountant in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years of regular service in the level failing which Accountant with ten years combined regular service as Accountant in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix and Upper Division Clerk in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix failing which Upper Division Clerk in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the level; or Senior Hindi Typist in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the level and have successfully completed two to four weeks' training in Establishment or Accounts in Central Government or State Government or Union Territory Administration. **Note 1:** Eligibility list for Upper Division Clerk and Senior Hindi Typist for promotion shall be prepared with respect to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective level or post. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** Officers of Central Government or State Government or Union Territory Administration: (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; or (iii) with ten years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 (25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- **Essential :** (i) Degree in any discipline from a recognised University ; (ii) One year experience in administration and accounts. **Desirable:** One year experience of Computer application, Data processing and Net Working.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee [for considering promotion] consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Testing and Training Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of Office, Farm Machinery Testing and Training Institute - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Stenographer Grade I	5* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	(i) 50% by promotion, failing which by deputation including short term contract; (ii) 50% by deputation (including short term contract) or absorption.

(11)

Promotion:

Stenographers Grade II in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the level.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (Including short term contract) or Absorption:

Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory organisations –
(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with six years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
(iii) with ten years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** Officers of only the Central Government or State Government or Union Territory Administration shall be eligible for absorption.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of Office, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Library and Information Assistant.	2* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Not applicable

(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential:** (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute; (ii) Two years professional experience in a Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution. **Desirable:** Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years for direct recruits.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7). (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall	Not applicable.

		ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).	

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.)-pt II]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.01.08 20:21:28 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.